



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 515) पटना, सोमवार, 14 जून 2021

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

9 जून 2021

सं0 01/प्रा0आ0 (COVID-19)-09/2021/2098/आ0प्र0-कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है तथा इसके कुप्रभाव से कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है। कोविड-19 संक्रमण की शुरुआत से ही विशेष पहल के रूप में बिहार राज्य में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से रु0 4.00 लाख (चार लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान के रूप में तत्परतापूर्वक भुगतान किया जा रहा है। इसके आलोक में 3737 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 4.00 लाख (चार लाख रुपये) की दर से भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि दी जा चुकी है।

2. भारत सरकार के गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्र संख्या 33-04/2020-NDM-I, दिनांक 14.03.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी को अधिसूचित आपदा में शामिल किया गया है। इसलिए यह विचार किया गया कि अब इसका भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से करना बेहतर होगा। उक्त के आलोक में विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त 3737 मृत व्यक्तियों के अतिरिक्त राज्य के निवासी, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से राज्य के अन्दर हो गई है या दिनांक 31.03.2022 तक होगी, के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि के रूप में रु0 4.00 लाख (चार लाख रुपये) की दर से भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य संसाधन से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3. कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के मांग संख्या-39 के "स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान" मद से किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 515-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>